बिजली चोरी में फैक्टरी मालिकों को भारी जुर्माने और सश्रम कैद की सजा

- ईस्ट दिल्ली में 1 करोड़ का जुर्माना, तीन साल की सश्रम कैद
- साउथ दिल्ली में 1 साल की सश्रम कैद, 4.6 लाख जुर्माना
- वेस्ट दिल्ली में 15 लाख का जुर्माना

नई दिल्लीः 7 अक्टूबर, 2013। बिजली की स्पेशल कोर्ट्स ने बिजली चोरी में लिप्त लोगों पर सख्त कार्रवाई की है। ईस्ट दिल्ली में एक फैक्टरी मालिक पर जहां 1 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है और उसे तीन साल की सश्रम कैद की सजा सुनाई गई है, वहीं साउथ दिल्ली में एक टेलरिंग यूनिट और उसकी मालकिन पर 4.6 लाख का जुर्माना लगाया गया है, साथ ही 1 साल सश्रम कैद की सजा भी दी गई है। वेस्ट दिल्ली में दो फैक्टरी मालिकों पर 15 लाख रूपये का जुर्माना लगाया गया है।

ईस्ट दिल्लीः 1 करोड़ जुर्माना, तीन साल की सजा

स्पेशल कोर्ट ने 102 किलोवॉट बिजली की चोरी करने वाले फैक्टरी मालिक मुकेश गुप्ता पर 1 करोड़ रूपये का जुर्माना किया है। साथ ही, उसे 3 साल की सश्रम कैद की सजा भी सुनाई गई है। कोर्ट ने उसकी जमानत की याचिक भी खारिज कर दी।

102 किलोवॉट बिजली चोरी के इस मामले में अपना फैसला सुनाते हुए कड़कड़डूमा स्थित बिजली की स्पेशल कोर्ट के जज डॉ शहाबुद्दीन ने कहा– आरोपी पहले से ही कोर्ट की सुनवाई में हिस्सा लेता रहा है। आज उसे बिजली चोरी का दोषी करार दिया जाता है। उस पर 1 करोड़ 9 लाख रूपये का जुर्माना किया जाता है। जुर्माने के भुगतान के अलावा, उसे 3 साल की सश्रम कैद की सजा भी भुगतनी होगी। मुकेश गुप्ता की जमानत खारिज करते हुए जज डॉ शहाबुद्दीन ने कहा – अगर इस वक्त दोषी व्यक्ति को जमानत पर छोड़ा जाता है, तो वह न्याय से भाग सकता है। इसलिए, उसे जमानत से नहीं दी जा सकती। .... सजा भुगतने के लिए दोषी को जुडिशियल कस्टडी में लिया जाता है।

बिजली चोरी का यह मामला इसलिए भी अनोखा है क्योंकि सुनवाई के दौरान गवाह के तौर पर न सिर्फ बीवाईपीएल के अधिकारी पेश हुए, बल्कि मुकेश गुप्ता के मकानमालिक और दिल्ली पुलिस के तीन अधिकारियों ने भी मुकेश गुप्ता के खिलाफ गवाही दी। मुकेश गुप्ता ही उस फैक्टरी का मालिक है, यह साबित करने के लिए बीवाईपीएल अधिकारियों ने उस फैक्टरी के पते वाला एक टेलीफोन बिल पेश किया, जिस पर मुकेश गुप्ता का नाम लिखा था। गवाहों के बयानों और सबूतों के आधार पर अदालत ने आरोपी की यह दलील नहीं मानी कि न तो वह उस पते पर कोई फैक्टरी चलाता है और न ही वह उसका मालिक है।

बिजली चोरी का यह मामला 4 जनवरी, 2006 को सामने आया था, जब बीवाईपीएल एन्फोर्समेंट टीम को पता चला कि मकान नंबर– 81, गली नंबर– 13, गोकलपुर में चल रही एक वायर ड्रॉइंग फैक्टरी में बड़े पैमाने पर बिजली की चोरी हो रही है। जब बीवाईपीएल टीम छापेमारी के लिए इस पते पर पहुंची, तो वहां सब कुछ सामान्य लगा रहा था। क्योंकि, सामने बिजली का एक मीटर दिख रहा था, और वह भी चालू हालत में। टीम को शक तब हुआ, जब उसने देखा कि मुकेश गुप्ता की वायर ड्रॉइंग फैक्टरी तो बहुत बड़ी है, लेकिन मीटर बिजली का लोड नहीं दिखा रहा था। जब बारीकी से जांच की गई, तो पता चला कि मीटर पर फैक्टरी का बिजली लोड था ही नहीं। जांच के दौरान पता चला कि मुकेश गुप्ता बीवाईपीएल की तारों पर कटिया डालकर 102 किलोवॉट बिजली की चोरी कर रहा था, और चोरी की इस बिजली से वह अपनी पूरी फैक्टरी चला रहा था।

102 किलोवॉट बिजली की सीधी चोरी पकड़ने के बाद, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के प्रावधानों के मुताबिक बीवाईपीएल एन्फोर्समेंट टीम ने मुकेश गुप्ता पर 1 करोड़ 37 लाख रूपये का जुर्माना किया था। लेकिन तय समयसीमा के भीतर आरोपी ने जुर्माने की राशि का भुगतान नहीं किया। उसके बाद, स्थानीय पुलिस स्टेशन में आरोपी के खिलाफ आपराधिक शिकायत कर, एफआईआर दर्ज कराई गई। गोकुलपुरी थाने में दर्ज कराई गई एफआईआर का नंबर है– 20/06।

वेस्ट दिल्ली में दो फैक्टरी मालिकों पर 15 लाख का जुर्माना

द्वारका स्थित बिजली की स्पेशल कोर्ट ने दो फैक्टारी मालिकों– रमेश चंद मुदगिल और अलीमुद्दीन पर 15 लाख रूपये का जुर्माना किया है। अगर वे जुर्माने की रकम का भुगतान नहीं करते हैं, तो उन्हें 6 महीने की जेल की सजा भुगतनी पड़ेगी। उपरोक्त फैक्टरी मालिकों को 16 किलोवॉट बिजली की चोरी करते पकड़ा गया था।

स्पेशल कोर्ट के जज श्री सुरेश कुमार गुप्ता ने कहा– पूरा जुर्माना 6, 19, 6000 रूपये है, जो भुगतान की तारीख तक 6 प्रतिशत के साधारण ब्याज के हिसाब से देय होगी।

बीआरपीएल एन्फोर्समेंट टीम ने 2008 में शॉप नंबर– 29/30, ग्राउंड फ्लोर, चावला फार्म, नवादा गांव, ओम विहार पर छापा मारा था। टीम को खबर मिली थी कि यहां पर एक फैब्रिकेशन यूनिट पूरी तरह से चोरी की बिजली पर चल रही है। जांच में पता चला कि फैक्टरी में बिजली के मीटर को बायपास करके, 16 किलोवॉट बिजली की चोरी की जा रही थी। बिजली चोरी के मामले में फैक्टरी मालिकों पर 6.19 लाख रूपये का जुर्माना किया गया था। लेकिन, आरोपियों ने जुर्माने की राशि का भुगतान नहीं किया, जिसके बाद बीआरपीएल मामले को स्पेशल कोर्ट में ले गई।

जोशी एंटरप्राइजेस की मालकिन को 1 साल सश्रम कैद, 4.6 लाख रूपये का जुर्माना

साकेत स्थित बिजली की स्पेशल कोर्ट ने खानपुर के पुल प्रह्लादपुर स्थित जोशी एंटरप्राइजेस और उसकी मालकिन पर बिजली चोरी के जुर्म में 4.6 लाख रूपये का जुर्माना किया है। साथ ही, एंटरप्रइजेस की मालकिन को एक साल सश्रम कैद की सजा भी सुनाई है। टेलरिंग यूनिट में 9.2 किलोवॉट बिजली की चोरी की जा रही थी।

जज श्री राकेश तिवारी ने कहा– अगर दोषियों ने जुर्माने का भुगतान नहीं किया, तो उन्हें और तीन महीने जेल में गुजारने होंगे।

दिल्ली की प्रमुख बिजली वितरण कंपनियां बीआरपीएल व बीवाईपीएल अपने उपभोक्ताओं को गुणवत्तायुक्त बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

.....